1	2	3
30.	बलरामपुर पेपर एण्ड बोर्डस प्रा० लि०	सुलतानपुर
31.	ग्रल-सनत एण्ड कंपनी लि०	इलाहाबाद
32.	थैड इंडिया लि०	कानपुर
33.	विष्णु स्ट्राप बोर्डस लि०	फैजाबाद
34.	जैन ट्यूबस लि०	गाजियाबाद
35.	मित्तल फर्टिलाइजर्स लि०	राय बरेली
36.	राजा टेक्सटाईल्स लि०	रामपुर
37.	बलवान स्पीनिंग मिल्स लि०	रामनगर
38.	कानपुर सूगर वर्क्स लि०	कानपुर
39.	ग्रमकाम केबल्स लि०	राय बरेली
40.	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लि०	नैनीताल
41.	स्कूटर्स इंडिया लि०	लखनऊ
42.	टेनरी एण्ड फुटवेयर क० लि०	कानपुर
43.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि०	इलाहाबाद
44.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०	कानपुर
45.	द इलजीन मिल्स लि०	कानपुर
46.	कानपुर टेक्सटाईल्स लि०	कानपुर
47.	यू०पी० ड्रग्स एण्ड फारमास्यूटिकल लि०	लखनऊ
48.	यू०पी० इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि०	लखनऊ
49.	यू०पी० स्टेट सिमेंट कारपोरेशन लि०	राय बरेली
50.	यू०पी० टायर्स एण्ड ट्यूब लि०	देहरादून
51.	यू०पी० कार्बाईड एण्ड केमिकल्स	देहरादून
52.	यू०पी० स्टेट स्पनिंग कपनी लि०	गाजियाबाद
53.	भदोही वुलन्स लि०	भदोही
54.	यू०पी० स्टेट यार्न लि०	इलाहाबाद
55.	श्रोत्रोग इंडिया लि०	शाहिबाबाद
56.	ग्रपट्रान इंडिया लि०	इलाहाबाद

जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

80. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इस वर्ष उत्तर प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता गत दो वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता की अपेक्षा कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता देने

के लिए क्या-क्या मानदंड अपनाए जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जीवन बीमा निगम की धन-राशियों के निवेश, जीवन बीमा निगम पर लागू होने वाले बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27-क के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। जहां जीवन बीमा निगम को इसके अंतर्गत जारी किए गए सरकारी मार्गदर्शकों का धन-राशियों का आबंटन करते समय सावधानीपूर्वक पालन करना होता है, वही दूसरी ओर उसे समय पर ब्याज की अदायगी मूलधन की किस्तों की वापसी अदायगी के रूप में अपने पिछले ऋणों की तुरंत सेवा पर भी काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है ताकि वह संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों, विशेषकर समाजोन्मुखी कार्यक्रमों में सहायता देने की अपनी क्षमता में रुकावट डाले बिना इन धनराशियों को पुनः आवर्तित करने में समर्थ हो सके।

गुजरात को एल०आई०डी०बी०आई० की सहायता

81. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.आई.डी.बी.आई. ने विगत दो वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के अधीन सहायता प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में कितनी सहायता प्रदान की गई ;

(ग) अखिल भारतीय स्तर पर प्रदत्त कुल सहायता में से गुजरात को प्राप्त सहायता का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या यह सच है कि इस उपाय के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हो पाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। गत 2 वर्षों के दौरान अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा गुजरात को संवितरित की गई पुनर्वित्त सहायता नीचे दी गई है :-

वर्ष	संवितरण (करोड़ रुपए)
1990-91	169.90
1991-92	196.26

(ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर अपनी विभिन्न दल वित्त तथा प्रत्यक्ष योजना के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र को दी गई सहायता सहित अपनी विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं में से उपलब्ध कुल सहायता में से गुजरात का प्रतिशत हिस्सा क्रमशः 11% और 13% था।

(घ) और (ङ) सिडबी ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त विगत 2 वर्षों के दौरान, उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई कुल सहायता से 12,400 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश किया गया है जिससे